

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा फिटनेस क्लब व सेन्टर्स को मान्यता प्रदान किये जाने की प्रक्रिया

निम्नानुसार अनिवार्य मापदण्ड प्रक्रिया पूर्ण करने वाले फिटनेस क्लब व सेन्टर्स को ही मान्यता किये जाने पर विचार किया जावेगा :-

1. पंजीकरण :-

- वह फिटनेस क्लब व सेन्टर्स जो कि केन्द्र/राज्य सरकार के अन्तर्गत किसी विशेष अधिनियम/नियम के अनुसार पंजीकृत संस्था है, को ही मान्यता प्रदान की जावेगी।
- विगत 03 वर्षों के आय-व्यय के अंकक्षित लेखे अनिवार्य रूप से संधारित हो।

2. स्थापना विवरण :-

- खेल जगत में फिटनेस के संबंध में विगत 03 वर्षों से संस्था को कार्यानुभव होना अनिवार्य है।

3. आधारभूत संरचना एवं उपकरण :-

- संस्था के पास न्यूनतम 1000 Sq.ft या अधिक की भूमि होनी अनिवार्य है।
- भूमि - यदि संस्था को सरकारी स्तर से खेल/व्यायाम हेतु कोई भूमि पूर्व में ही आवंटित है, तो उसे स्वतः ही मान्यता प्रदान कर दी जावेगी।
- संस्था के पास न्यूनतम 10 या अधिक व्यायाम से संबंधित स्थल/उपकरण हो।
- टॉयलेट व पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो।

4. प्रशिक्षण :-

- केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से सम्बन्धित खेल में प्रमाणित कोर्स किये न्यूनतम 02 योग्य खेल प्रशिक्षक हो।

5. सदस्यता :-

- न्यूनतम 25 या अधिक पंजीकृत सदस्य हो।

6. उपलब्धियां :-

- वैध राज्य व राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में संस्था द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों के गत 03 वर्षों में उपलब्धियां हासिल किये जाने पर फिटनेस क्लब व सेन्टर्स को मान्यता प्रदान किये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी।

7. सुरक्षा मापदण्ड :-

- खिलाड़ियों को चोट की स्थिति में फर्स्ट ऐड किट की व्यवस्था उपलब्ध हो।
- सरकार द्वारा संस्था को अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रदान होना अनिवार्य है।
- न्यूनतम 02 अग्निशमन उपकरण उपलब्ध हो।
- आग लगने की स्थिति में पृथक से निकास द्वार हो।
- सभी प्रकार के सुरक्षा मापदण्ड आदि सुनिश्चित हो ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने से रोका जा सकें।

8. अपने खेल विशेषता में उक्तानुसार निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने के अतिरिक्त, निम्नानुसार अन्य सुविधाएँ होने की स्थिति में फिटनेस क्लब व सेन्टर्स को मान्यता प्रदान किये जाने में प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। :-

- जिम
- योगा
- मेडिटेशन सेन्टर
- एरोबिक्स
- केलिसथेनिक
- खुला वातावरण
- अन्य